(21)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 1072 I/2014 जिला विदिशा

भंवरीबाई पुत्री श्री रुपसिंह राजपूत, निवासी – ग्राम बीलखेडी, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा (म.प्र.)

...... आवेदिका

विरूद्ध

इमरतसिंह पुत्र श्री मानसिंह राजपूत, निवासी – ग्राम बीलखेडी, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा (म.प्र.)

...... अनावेदक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, शमशाबाद द्वारा प्रकरण कमांक 9/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 25.03.2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्यः–

1. यहकि, अनावेदक इमरतसिंह द्वारा तहसीलदार शमशाबाद के समक्ष आवेदन पत्र धारा 115–116 भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत इस आशय से प्रस्तुत किया कि ग्राम बीलखेड़ी में स्थित सर्वे कमांक 315 रकवा 0.040 है, सर्वे कमांक 321 रकवा 0.020 है, सर्वे कमांक 403/2 रकवा 0.508 है., सर्वे कमांक 542 रकवा 0.340 है, सर्वे कमांक 411 रकवा 0.950 है, कुल किता 5 कुल रकवा 1.858 हैक्टेयर है, जो पैत्रिक कृषि भूमियाँ है, जो उसे आपसी बंटवारें में प्राप्त हुयी थी, उक्त कृषि खाते का सर्वे कमांक 411 रकवा 0.950 हैक्टेयर सहवन त्रुटिवश शासकीय अभिलेख में आवेदिका भंवरीबाई के नाम अवैध रूप से अंकित हो गयी है। उक्त गलत एवं अवैध प्रविष्टी का शासकीय अभिलेख में सुधार किया जाकर उक्त प्रविष्टी पर अनावेदक का नाम शासकीय अभिलेख में विधि अनुरुप अंकित किया जाये।
2. यहकि, अनावेदक के उक्त आवेदनपत्र तहसीलदार, शमशाबाद द्वारा प्रकरण कमांक 20/अ–6/2012–13 पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी, जिसमें आवेदिका की ओर से अपना विधिवत जबाव प्रस्तुत किया एवं बताया कि विवादित भूमि सर्वे कमांक 411 रकवा 0.950 हैक्टेयर आवेदिका के स्वत्व,

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1072–एक / 2014 जिला विदिशा

स्थान तथा दिनांक	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3–4–2014	

आवेदक अधिवक्ता श्री के0के0द्विवेदी, उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना ।

2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी शमशाबाद जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 9/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 25–3–2014 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3– अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय द्वारा आवेदक की आपत्ति कि उनके न्यायालय में अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील अवधि बाह्य थी, के बिन्दु पर कोई निराकरण नहीं करते हुये प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी को प्रथमतः अपील के अवधि बाह्य के बिन्दु पर निराकरण करना चाहिये था जो उनके द्वारा नहीं किया गया है । अतः अनुविभागीय अधिकारी को इन निर्देशों के साथ प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाता है कि समय सीमा के बिन्दु पर बोलता हुआ आदेश पारित करें ।

प्रशासकीय सदस्य